

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क०/बोर्ड/निर्माण/आदेश/अभिन्यास/20-21/1313

भोपाल, दिनांक 6-1-2021

आदेश

कार्यालयीन आदेश क० 777-778 दिनांक 24.08.2020 से प्रदेश की मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों के नियोजन कार्य अंतर्गत मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों के अभिन्यास अनुमोदन, परिवर्तन/परिवर्धन की कार्यवाही हेतु नवीन व्यवस्था प्रभावशील की गई थी।

उक्त नवीन व्यवस्था के सापेक्ष उद्भूत तकनीकी कठिनाईयों के आधार पर उल्लेखित आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

आदेश जारी दिनांक से प्रश्नागत कार्य हेतु पूर्व व्यवस्था के तहत मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों के अभिन्यास अनुमोदन, परिवर्तन/परिवर्धन की कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(संदीप यादव)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क०/बोर्ड/निर्माण/आदेश/अभिन्यास/20-21/1314

भोपाल, दिनांक 6-1-2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, मान० मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सह अध्यक्ष महोदय, मंडी बोर्ड।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय तथा आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)
4. अधीक्षण यंत्री, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
5. कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, (समस्त)
6. सचिव, कृषि उपज मण्डी समितिजिला.....(समस्त)।
7. आदेश नस्ती निर्माण शाखा, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल


आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल